

[भारत के राजपत्र, (असाधारण), के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 43 /2019- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 18 जून, 2019

का.आ. \_\_\_\_\_(अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उपधारा (34) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देता है कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की प्रत्येक अधिसूचना में उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

### सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	44/2011-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 6 जुलाई, 2011 [का.आ. 1541(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2011 के तहत]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक "धारा 17, धारा 28 और धारा 28 ककक", के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17, धारा 28 और धारा 28 ककक और धारा 124 का दूसरा परंतुक" को प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2.	40/2012- सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 2 मई, 2012 [का.आ. 993(अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (xxxi) के बाद निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:- “(xxxi अ) धारा 124 का दूसरा परंतुक;”.

[फ़ाइल संख्या 450/47/2019-सीमाशुल्क IV]

जुबैर रियाज़

(जुबैर रियाज़)  
निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी:

(i) प्रधान अधिसूचना संख्या 44/2011-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 6 जुलाई, 2011 को का.आ. 1541(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

(ii) प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 2 मई, 2012 को का.आ. 993 (अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।